सत्र समीक्षा

तेरहवीं राजस्थान विधान सभा का चतुर्थ सत्र

तेरहवीं राजस्थान विधान सभा का चतुर्थ सत्र सोमवार, दिनांक 22 फरवरी, 2010 को राष्ट्रीय गीत 'वन्दे मातरम् ....' के गायन से आरम्भ हुआ तथा शुक्रवार, दिनांक 2 अप्रैल, 2010 राष्ट्रगान 'जन गण मन' के साथ अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुआ। सत्र का सत्रावसान दिनांक 3 मई, 2010 को हुआ।

सत्र	कुल बैठकें	बैठकों की तिथि
चतुर्थ सत्र	23	फरवरी माह - 22, 23,24, 25 एवं 26
		मार्च माह - 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18
		19, 22, 23, 25, 26, 29, 30 एवं 31
		अप्रैल माह - 1 एवं 2

राज्यपाल महोदय का अभिभाषण

महामहिम राज्यपाल श्रीमती प्रभा राव द्वारा दिनांक 22 फरवरी, 2010 को सदन के समक्ष किये गये अभिभाषण की प्रति विधान सभा सचिव ने सदन की मेज पर रखी। दिनांक 23 फरवरी, 2010 को सदस्य डॉ. रघु शर्मा ने राज्यपाल महोदय को धन्यवाद (समावेदन) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसका अनुमोदन श्री अलाउद्दीन आजाद ने किया। प्रस्ताव पर चार दिवस तक चर्चा हुई जिसके पश्चात् दिनांक 26 फरवरी, 2010 को मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने वाद-विवाद का उत्तर दिया। वाद विवाद में 83 माननीय सदस्यों ने भाग लिया। दिनांक 23 फरवरी, 2010 को 21; 24 फरवरी, 2010 को 28; 25 फरवरी, 2010 को 20 तथा 26 फरवरी, 2010 को 12 सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया। चर्चा में भारतीय जनता पार्टी के 41, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 35, भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के 3, निर्दलीय, जनता दल (यूनाइटेड), समाजवादी पार्टी तथा लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के एक-एक सदस्य ने भाग लिया। 14 महिला सदस्यों ने भी उक्त चर्चा में भाग लिया जिसमें 7 भारतीय जनता पार्टी तथा 7 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्याएं थीं।

विधायक दल के नेता के त्याग-पत्र की घोषणा

चतुर्थ सत्र में दिनांक 25 फरवरी, 2010 को माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी द्वारा राजस्थान विधान सभा में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता के पद से श्रीमती वसुन्धरा राजे के त्याग-पत्र को स्वीकार करने की सूचना दी गई है। अतः श्रीमती वसुन्धरा राजे को भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता होने के नाते नेता प्रतिपक्ष के रूप में दी गई मान्यता को समाप्त किया जाता है।

मंत्री द्वारा वक्तव्य

सत्र के दौरान निम्न माननीय मंत्रियों ने निम्न विषयों पर सदन में वक्तव्य दिये -

क्र.	मंत्री का नाम	दिनांक	विषय
1.	श्री महिपाल मदेरणा जल संसाधन मंत्री	24.2.2010	बीकानेर तथा हाड़ोती संभाग के किसानों को सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।
2.	श्री बाबूलाल नागर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री	10.3.2010	राज्य में बढ़ती मंहगाई के सम्बन्ध में।
3.	श्री शांति कुमार धारीवाल गृह मंत्री	15.3.2010	थाना बोंली, जिला - सवाई माधोपुर इलाके में प्रातः बस के नदी में गिर जाने से 26 व्यक्तियों की मृत्यु के सम्बन्ध में ।

सदस्यों द्वारा व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

सत्र के दौरान दिनांक 26 फरवरी, 2010 को माननीय सदस्य श्री शांति कुमार धारीवाल ने श्री राजेन्द्र राठौड़, सदस्य द्वारा पक्ष तथा प्रतिपक्ष के सदस्यों के टेलीफोन टेप करवाये जाने के आरोप के सम्बन्ध में सदन में व्यक्तिगत स्पष्टीकरण दिया ।

अध्यक्षीय व्यवस्था

1. समीक्ष्य चतुर्थ सत्र में दिनांक 12 मार्च, 2010 को माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि सत्ता पक्ष व प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा एक-दूसरे के विरुद्ध प्रयोग किये गये असंसदीय शब्दों को कार्यवाही वृत्तांत से विलोपित कर दिया गया है ।

2. श्री घनश्याम तिवाड़ी, सदस्य, विधान सभा ने माननीय मुख्यमंत्री द्वारा राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2010 व राजस्थान वित्त विधेयक, 2010 को सदन में विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय इस आशय का व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि राजस्थान वित्त विधेयक संविधान के अनुच्छेद 199 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जाता है। राजस्थान सरकार जब बजट पेश करती है और बजट पेश करने के बाद जो टैक्स लगाती है, टैक्स हटाती है और जो परिवर्तन करती है एक्ट में, उन सबको बिल में प्रस्तुत करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री ने अपने बजट भाषण के पैरा 292 की अनुसूची 4 में उल्लेखित कतिपय वस्तुओं को हटाया जाना प्रस्तावित किया है। चूंकि शिड्यूल मे चेंज एक्ट में चेंज माना जाता है। अत: आपको अनुसूची 4 में से कतिपय वस्तुओं को हटाये जाने के लिए इसको फाइनेंस बिल के अन्तर्गत लेकर आना चाहिये था। अत: यह फाइनेंस बिल असंवैधानिक है और यह विधेयक सदन में विचारार्थ प्रस्तुत नहीं किया जा सकता।

तत्समय मैंने सदन में अपनी व्यवस्था सुरक्षित रखते हुए कहा था कि मैं पूरे केस को स्टडी करके व्यवस्था दूँगा । इस संदर्भ में दिनांक 29 मार्च, 2010 को माननीय अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी कि-

'श्री घनश्याम तिवाड़ी, सदस्य विधान सभा ने यह आपत्ति प्रस्तुत की है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपने बजट भाषण के पैरा- 292 में वैट अधिनियम की अनुसूची - 4 से कतिपय वस्तुओं यथा-कोलतार, बिटुमैन, लाईमस्टोन, जनरेटर एवं इन्वर्टर्स, ऑटोमोबाईल बॉडी, पी.बी.एक्स, इलैक्ट्रोड्स, ब्रॉन्डेड रेडीमेड गारमेन्ट्स, मल्टीफंक्शनल डिवाईसेज, यू-फोम, कुछ कैमिकल्स एवं हाई वोल्टेज केबल्स को हटाया जाना प्रस्तावित किया है, जो वे बिना एक्ट में संशोधन किये बगैर नहीं कर सकते हैं।

मैं इस सम्बन्ध में सदन को यह अवगत कराना चाहूँगा कि राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा-4 की उप-धारा-5 में जो प्रावधान किया गया है वो इस प्रकार है -

'(5) राज्य सरकार ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए जो वह अधिरोपित करे, यदि वह लोकहित में ऐसा करना आवश्यक समझे, तो राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, भविष्यलक्षी रूप से या भूतलक्षी रूप से अनुसूचियों को परिवर्धित या उनसे लोप या अन्यथा संशोधित या उपान्तरित कर सकेगी या किसी भी माल के सम्बन्ध में संदेय कर की दर में कमी कर सकेगी और तत्पश्चात् अनुसूची तद्नुसार संशोधित की हुई समझी जायेगी।'

अत: इससे स्पष्ट है कि राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 4(5) में यह प्रावधान है कि राज्य सरकार लोक हित में वेट अधिनियम की अनुसूचियों में संशोधन, परिवर्धन तथा लोप (हटाने) की कार्यवाही कर सकती है । इस तरह राज्य सरकार द्वारा अनुसूची 4 में जो अधिसूचना के द्वारा संशोधन किया है वह नियम सम्मत है तथा इसके लिये अधिनियम में संशोधन लाये जाने की आवश्यकता नहीं है। अत: श्री घनश्याम तिवाड़ी, सदस्य, विधान सभा द्वारा उठाये गये व्यवस्था के प्रश्न को मैं निरस्त करता हूँ।'

3. दिनांक 10 मार्च, 2010 को सदस्य श्री राजेन्द्र राठौड़ के व्यवस्था के प्रश्न तथा दिनांक 11 मार्च, 2010 को सदस्य श्री घनश्याम तिवाड़ी व श्री अमराराम द्वारा प्रस्तुत विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव पर माननीय अध्यक्ष ने 30 मार्च, 2010 को व्यवस्था दी कि 'दिनांक 9 मार्च, 2010 को सदन में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट भाषण के पैरा 291 राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची 4 में वर्णित वस्तुओं पर वैट की दर 4 प्रतिशत से बढ़ा कर 5 प्रतिशत की गई तथा इसकी अनुपालना में दिनांक 9 मार्च, 2010 को वित्त विभाग द्वारा इस आशय की अधिसूचना जारी कर दी गई थी। राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची 4 में सभी प्रविष्टियों पर कर की दर 4 प्रतिशत थी। यह मात्र संयोग ही था कि केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के तहत डिक्लेयर्ड गुड्स पर भी अधिकतम कर की दर 4 प्रतिशत ही थी । बजट घोषणा में जब अनुसूची 4 में वर्णित सभी वस्तुओं पर कर दर 4 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत की गई तब भी डिक्लेयर्ड गुड्स पर केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के तहत वेट की दर 4 प्रतिशत से अधिक बढ़ ही नहीं सकती।

राज्य सरकार के ध्यान में यह तथ्य आने पर सरकार द्वारा यह उचित समझा गया कि आम जन भ्रमित नहीं हो तथा व्यापारी वर्ग में भी उक्त वस्तुओं पर कर की दर के सम्बन्ध में कोई संशय की स्थिति

नहीं रहे तथा कोई भी व्यापारी आम जन से अनाधिकृत रूप से गलत टैक्स वसूल नहीं कर पाये इसको स्पष्ट करने के लिए दिनांक 10 मार्च, 2010 को राज्य सरकार द्वारा तुरंत इस आशय का प्रेस नोट जारी किया गया।

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि डिक्लेयर्ड गुड्स पर कर की दर न तो बढ़ाई गई है और न ही घटाई गई है अपितु जो कर दर केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के अंतर्गत वास्तव में थी उसी को स्पष्ट किया गया है । जो स्पष्टीकरण राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया है उससे न तो कोई विशेषाधिकार का हनन हुआ है और न ही संविधान अथवा प्रक्रिया नियमों के किसी प्रावधान का उल्लंघन हुआ है । अत: मैं श्री घनश्याम तिवाड़ी व श्री अमराराम द्वारा प्रस्तुत विशेषाधिकार हनन के प्रस्तावों को अग्राह्य करता हूँ, साथ ही श्री राजेन्द्र राठौड़, सदस्य, विधान सभा द्वारा उठाये गये व्यवस्था के प्रश्न को भी निरस्त करता हूँ ।'

सदस्य की गिरफ्तारी एवं रिहाई की सूचना

समीक्ष्य चतुर्थ सत्र में दिनांक 12 मार्च, 2010 को माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि सदस्य श्रीमती किरण माहेश्वरी को दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 65 के अन्तर्गत दिनांक 8 मार्च, 2010 को रात्रि 9.40 बजे निरुद्ध किया जाकर 10.05 पर रिहा करने की सूचना अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, नई दिल्ली से प्राप्त हुई है ।

प्रश्न काल

समीक्ष्य चतुर्थ सत्र में 132 माननीय सदस्यों द्वारा कुल 4418 तारांकित तथा अतारांकित प्रश्न प्रस्तुत किये गये। इनमें से माननीय सदस्यों द्वारा मौखिक उत्तर के लिए कुल 2058 प्रश्न प्रस्तुत किये गये जिनमें से 687 तारांकित प्रश्न, प्रश्न-सूची में सूचीबद्ध किये गये। महिला सदस्य श्रीमती संजना आगरी, श्रीमती किरण माहेश्वरी तथा श्रीमती अनीता सिंह सहित 17 माननीय सदस्यों ने अधिकतम 40-40 प्रश्न प्रस्तुत किये जबकि 4 माननीय सदस्यों ने 39-39 तथा 2 सदस्यों ने 38-38 प्रश्न प्रस्तुत किये। सूचीबद्ध हुए प्रश्नों में सर्वाधिक 23 प्रश्न श्री ज्ञानचन्द पारख तथा 20 प्रश्न श्री रामहेत सिंह यादव के थे। महिला सदस्यों में सर्वाधिक 14 प्रश्न श्रीमती संजना आगरी, 12-12 प्रश्न श्रीमती किरण माहेश्वरी एवं श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर 'दीपा' तथा 9-9 प्रश्न श्रीमती अनीता सिंह एवं श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास के सूचीबद्ध हुए ।

उक्त के अतिरिक्त 2,360 अतारांकित प्रश्न भी लिखित उत्तर के लिए प्राप्त हुए जिसमें से 512 प्रश्न, प्रश्नसूची में सूचीबद्ध हुए । श्री वासुदेव देवनानी, श्री केसाराम चौधरी, डॉ. फूलचन्द भिण्डा, श्री हरिसिंह रावत, श्री ओटाराम देवासी, श्री रामनारायण मीणा, श्री रामलाल गुर्जर तथा श्री नन्दलाल मीणा ने अधिकतम 60-60 प्रश्न प्रस्तुत किये । महिला सदस्यों में सर्वाधिक 57 प्रश्न श्रीमती किरण माहेश्वरी, 54 प्रश्न श्रीमती अनीता सिंह तथा 37 प्रश्न श्रीमती संजना आगरी ने प्रस्तुत किये। सूचीबद्ध हुए अतारांकित प्रश्नों में से सर्वाधिक 20 प्रश्न श्रीमती किरण माहेश्वरी, 18 प्रश्न श्री घनश्याम तिवाड़ी

तथा 15 प्रश्न श्रीमती अनीता सिंह के सूचीबद्ध हुए ।

प्राप्त प्रश्नों के विभागानुसार विश्लेषण के अनुसार तारांकित प्रश्नों में सर्वाधिक 205 प्रश्न शिक्षा विभाग, 160 प्रश्न चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, 154 प्रश्न जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, 133 प्रश्न ऊर्जा विभाग तथा 109 प्रश्न सार्वजनिक निर्माण विभाग से सम्बन्धित थे । सूचीबद्ध होने वाले तारांकित प्रश्नों में सर्वाधिक 51 प्रश्न ऊर्जा विभाग, 50 प्रश्न शिक्षा विभाग, 48 प्रश्न चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग 46 प्रश्न सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा 33 प्रश्न जन स्वास्थ्य एवं आभियांत्रिकी विभाग से सम्बन्धित थे । प्राप्त अतारांकित प्रश्नों में सर्वाधिक 251 प्रश्न शिक्षा विभाग, 172 प्रश्न चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, 135 प्रश्न ऊर्जा विभाग एवं 124 प्रश्न जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से सम्बन्धित थे । सूचीबद्ध होने वाले अतारांकित प्रश्नों में सर्वाधिक 44 प्रश्न शिक्षा विभाग, 38 प्रश्न राजस्व विभाग, 30 प्रश्न चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा 29 प्रश्न जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग से सम्बन्धित अतारांकित प्रश्न सूचीबद्ध हुए। सूचीबद्ध हुए तारांकित प्रश्नों में से 86 प्रश्नों पर सदन में चर्चा हुई ।

स्थगन प्रस्ताव

समीक्ष्य चतुर्थ सत्र में माननीय अध्यक्ष द्वारा अपनी व्यवस्था देते हुए प्रक्रिया के नियम 50 के अन्तर्गत 50 माननीय सदस्यों के 155 स्थगन प्रस्तावों को सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति नहीं दी गई, इनमें से 6 प्रस्तावों पर सम्बन्धित मंत्री द्वारा अभियुक्ति दी गई। स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले भारतीय जनता पार्टी के 45 सदस्यों ने 138 प्रस्ताव, माकपा के 3 सदस्यों ने 15 प्रस्ताव तथा दो निर्दलीय सदस्यों ने एक-एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया । 8 महिला सदस्यों द्वारा प्रस्तुत सभी 21 प्रस्ताव भारतीय जनता पार्टी की महिला सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किये गये । श्री ज्ञानचन्द पारख ने सर्वाधिक 13 प्रस्ताव प्रस्तुत किये जबकि महिलाओं में सर्वाधिक 6 प्रस्ताव श्रीमती अनीता सिंह ने प्रस्तुत किये ।

विशेष उल्लेख की सूचनाएँ

समीक्ष्य सत्र में 91 माननीय सदस्यों से प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की 211 सूचनाएं प्राप्त हुईं । इनमें से 91 सूचनाओं को सदन में पढ़ा गया तथा 120 सूचनाओं को सदन में पढ़ा हुआ माना गया । प्रस्तुत सूचनाओं में से भारतीय जनता पार्टी के 53 सदस्यों ने 136, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 32 सदस्यों ने 61, माकपा के 3 सदस्यों ने 11 तथा निर्दलीय, जनता दल (यूनाइटेड) एवं समाजवादी पार्टी के एक-एक सदस्य ने एक-एक सूचना प्रस्तुत की । प्रस्तुत सूचनाओं में से 45 सूचनाएँ 16 महिला सदस्यों द्वारा प्रस्तुत की गईं। इनमें से भारतीय जनता पार्टी की 11 सदस्याओं ने 35 तथा इनेकां की 5 सदस्याओं ने 10 सूचनाएँ प्रस्तुत की । महिलाओं में सर्वाधिक 5-5 सूचनाएँ श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास तथा श्रीमती अनिता भदेल ने प्रस्तुत की । सूचनाएँ प्रस्तुत करने वाले सदस्यों में 7 सदस्यों द्वारा 5-5, 11 सदस्यों द्वारा 4-4, 18 सदस्यों द्वारा 3-3, 23 सदस्यों द्वारा 2-2 तथा 32 सदस्यों द्वारा 1-1 सूचना प्रस्तुत की गई ।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये विषय

समीक्ष्य सत्र में पर्ची के माध्यम से 31 माननीय सदस्यों को अविलम्बनीय लोक महत्त्व के 59 विषय सदन में उठाने की अनुमति प्रदान की गई जिनमें से 11 विषयों पर सम्बन्धित मंत्री द्वारा अभियुक्ति दी गई। विषय उठाने वाले सदस्यों में से भारतीय जनता पार्टी के 22 सदस्यों द्वारा 42 विषयों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 6 सदस्यों ने 10 विषयों, माकपा के 2 सदस्यों ने 6 विषयों तथा एक निर्दलीय सदस्य द्वारा एक विषय सदन में उठाया गया । विषय उठाने वाले सदस्यों में से 5 महिला सदस्यों ने 11 विषय उठाये । सर्वाधिक 5 विषय श्री ज्ञानचन्द पारख तथा 4 विषय श्री कालीचरण सराफ ने उठाये जबकि महिला सदस्याओं में श्रीमती अनिता भदेल तथा श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास ने सर्वाधक 3-3 विषय उठाये । पर्ची के द्वारा उठाये जाने वाले विषयों में से 8 सदस्यों ने 3-3, 5 सदस्यों ने 2-2 तथा 16 सदस्यों ने 1-1 विषय सदन में उठाया ।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

चतुर्थ सत्र के दौरान 12 विषयों पर राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया । 61 माननीय सदस्यों द्वारा इन प्रस्तावों पर 7 अलग-अलग दिवसों पर सदन में चर्चा की गई। चर्चा के उपरांत सम्बन्धित मंत्रियों ने अभियुक्ति दी।

याचिकाओं का उपस्थापन

समीक्ष्य चतुर्थ सत्र में 11 सदस्यों द्वारा 17 याचिकाएँ उपस्थापित की गईं । याचिका उपस्थापित करने वाले सदस्यों में से भारतीय जनता पार्टी के 8 सदस्यों ने 12 याचिकाएँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 सदस्यों ने 2 याचिकाएँ तथा एक माकपा सदस्य ने सदन में एक याचिका उपस्थापित की । याचिका उपस्थापित करने वाली एकमात्र महिला सदस्य श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास ने सर्वाधिक 4 याचिकाएँ उपस्थापित कीं ।

सदन में अव्यवस्था

1. समीक्ष्य सत्र में दिनांक 25 फरवरी, 2010 को श्री राजेन्द्र राठौड़ व 17 अन्य सदस्यों ने बढ़ती मंहगाई के सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव को अस्वीकार किये जाने की व्यवस्था पर पुनर्विचार की मांग करते हुए प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा सदन की वैल में आकर की गई नारेबाजी से घोर अव्यवस्था एवं व्यवधान हुआ ।
2. दिनांक 10 मार्च, 2010 को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री श्री बाबूलाल नागर के राज्य में बढ़ती मंहगाई के सम्बन्ध में दिये गये वक्तव्य से असंतुष्ट होकर प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा सदन के वैल में आकर की गई नारेबाजी से घोर अव्यवस्था एवं व्यवधान हुआ ।
3. दिनांक 11 मार्च, 2010 को श्री घनश्याम तिवाड़ी द्वारा प्रस्तुत विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव पर भाजपा के सदस्यों ने सदन के वैल में आकर मुख्यमंत्री के विरुद्ध लगातार नारेबाजी किये जाने से सदन में घोर अव्यवस्था एवं व्यवधान हुआ ।

4. दिनांक 12 मार्च, 2010 को यातायात मंत्री पर श्री हनुमान बेनीवाल द्वारा लगाये गये आरोपों को संसदीय कार्य मंत्री द्वारा अध्यक्ष से सदन की कार्यवाही से विलोपित किये जाने की व्यवस्था की मांग पर प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा सदन के वैल में आकर नारेबाजी से घोर अव्यवस्था एवं व्यवधान हुआ। इस दिन सदन की कार्यवाही तीन बार क्रमशः दो घण्टे तथा आधा-आधा घण्टे स्थगित की गई।
5. दिनांक 16 मार्च, 2010 को अनुदान की मांगों पर चर्चा के उपरांत सरकार की ओर से उत्तर दे रहे खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री श्री बाबूलाल नागर के उत्तर से असन्तुष्ट होकर भाजपा के सदस्यों ने सदन के वैल में आकर नारेबाजी किये जाने से सदन में घोर अव्यवस्था एवं व्यवधान हुआ।
6. दिनांक 17 मार्च, 2010 को भाजपा के विधायक श्री हनुमान बेनीवाल के निलम्बन का प्रस्ताव पारित होने के उपरांत प्रस्ताव के विरोध में भाजपा सदस्यों द्वारा सदन के वैल में आकर की गई नारेबाजी से घोर अव्यवस्था एवं व्यवधान हुआ। इस दिन सदन की कार्यवाही तीन बार क्रमशः एक घण्टे, आधा घण्टे एवं एक घण्टे स्थगित की गई।
7. दिनांक 18 मार्च, 2010 को श्री घनश्याम तिवाड़ी द्वारा श्री शांति कुमार धारीवाल, गृह मंत्री के विरुद्ध प्रक्रिया के नियम 119 के अन्तर्गत प्रस्तुत निंदा प्रस्ताव पर बहस की मांग करते हुए सदन के वैल में आकर की गई नारेबाजी से घोर अव्यवस्था एवं व्यवधान हुआ। इस दिन सदन की बैठक चार बार एक-एक घण्टे के लिए स्थगित हुई।
8. दिनांक 19 मार्च, 2010 को माननीय अध्यक्ष द्वारा सदन की सदस्यता से निलम्बित किये गये सदस्य श्री राजेन्द्र राठौड़ को सदन से बाहर चले जाने को कहा गया। भाजपा के उप नेता को भी कहने के बाद माननीय अध्यक्ष ने मार्शल एवं सुरक्षा प्रहरियों को श्री राठौड़ को सदन से बाहर निकाले जाने के आदेश दिये। भाजपा तथा सुरक्षा प्रहरियों के बीच धक्कामुक्की होने से सदन में नारेबाजी के कारण घोर अव्यवस्था व्याप्त हो गई। इस दिन सदन की बैठक एक घण्टे के लिए स्थगित की गई।

सदस्य का निलम्बन

सत्र के दौरान दिनांक 17 मार्च, 2010 को सरकारी मुख्य सचेतक ने प्रक्रिया के नियम 292 के अन्तर्गत प्रस्ताव रखा कि 'आज दिनांक 17 मार्च, 2010 को स्थगन प्रस्ताव पर दो मिनट बोलते हुए श्री हनुमान बेनीवाल, सदस्य, विधान सभा ने आसन के आदेशों की निरन्तर अवहेलना करते हुए आक्रामक मुद्रा में माननीय गृह मंत्री जी पर बिना किसी प्रमाण के आरोप लगाये और अशोभनीय भाव भंगिमाएं बनाते हुए वैल में आकर अपने हाथों का इस तरह से प्रदर्शन किया कि जैसे क्रोधावेश में बेकाबू हो गये। इससे आसन की गरिमा का हनन हुआ एवं सदन के संचालन में बाधा हुई है। यह कोई पहला अवसर नहीं है, पूर्व में भी श्री हनुमान बेनीवाल इसी तरह के आरोप बिना किसी प्रमाण के लगाने के आदी रहे हैं। अतः मैं, प्रस्ताव करता हूँ कि श्री हनुमान बेनीवाल, सदस्य, विधान सभा को सत्र की शेष

अवधि के लिए सदन की सदस्यता से निलम्बित किया जाये ।' इसके पश्चात् प्रस्ताव सदन द्वारा पारित किया गया।

दिनांक 18 मार्च, 2010 को सरकारी मुख्य सचेतक ने प्रक्रिया के नियम 292 के अन्तर्गत प्रस्ताव रखा कि 'कल दिनांक 17 मार्च, 2010 को प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य बैल में नारे लगा रहे थे। आसन की ओर से माननीय जल संसाधन मंत्री को अपने विभाग की मांग प्रस्तुत करने हेतु कहे जाने पर ज्योंही माननीय जल संसाधन मंत्री अपने विभाग की मांग प्रस्तुत करने खड़े हुए, उसी समय माननीय सदस्य श्री राजेन्द्र राठौड़ वैल में उत्तेजित होते हुए नियमावली पुस्तिका को अपने हाथ से हिलाते हुए कागज छीनने के उद्देश्य से अन्य प्रतिपक्ष के सदस्यों को भी साथ लेकर उकसाते हुए माननीय मंत्री महोदय की ओर झपटे । इससे सदन में घोर अव्यवस्था उत्पन्न हुई और आसन द्वारा सुरक्षाकर्मियों को मंत्री महोदय और सत्ता पक्ष के अन्य सदस्यों की सुरक्षा हेतु बुलाना पड़ा । श्री राठौड़ का यह कृत्य अमर्यादित, अशिष्ट एवं नियमों एवं संसदीय प्रक्रियाओं का खुला उल्लंघन करने वाला रहा है ।

आज भी सदन की कार्यवाही प्रारम्भ होते ही माननीय सदस्य श्री राजेन्द्र राठौड़ ने प्रक्रिया के नियम 119 के तहत उनकी ओर से दी गई प्रस्ताव की सूचना के सम्बन्ध में बिना आसन की अनुमति के बोलना शुरू कर दिया, जबकि प्रक्रिया नियमों के तहत अध्यक्ष महोदय के निर्णय एवं उनकी अनुमति के पश्चात् ही ऐसे प्रस्ताव को उठाया जा सकता है। यही नहीं, माननीय सदस्य ने सदन में घोर अव्यवस्था फैलाने हेतु अन्य माननीय सदस्यों को उकसाने की कार्यवाही की है जिसके कारण आसन को तीन बार एक-एक घण्टे के लिये सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। श्री राठौड़ पूर्व में भी बिना आसन की अनुमति के ऐसा कृत्य कर संसदीय परम्पराओं का खुला उल्लंघन करते रहे हैं।

माननीय सदस्य श्री राजेन्द्र राठौड़ का उक्त कृत्य संसदीय परम्पराओं के विपरीत एवं उनका उक्त आचरण सदन की गरिमा को गिराने वाला है। अत: मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि माननीय सदस्य श्री राजेन्द्र राठौड़ को उनके इस कृत्य के फलस्वरूप एक वर्ष के लिये सदन की सदस्यता से निलम्बित किया जाए ।' इसके पश्चात् प्रस्ताव सदन द्वारा पारित किया गया।

दिनांक 22 मार्च, 2010 को सरकारी मुख्य सचेतक श्री वीरेन्द्र बेनीवाल ने निलम्बन समाप्त किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि 'महोदय, दिनांक 17 मार्च, 2010 को सदन द्वारा पारित प्रस्ताव द्वारा श्री हनुमान बेनीवाल, सदस्य को आसन के आदेशों की निरन्तर अवहेलना करते हुए आक्रामक मुद्रा में माननीय मंत्री जी पर बिना किसी प्रमाण के आरोप लगाने और वैल में आकर अशोभनीय भाव भंगिमाएं बनाते हुए अपने हाथों का प्रदर्शन कर क्रोधावेश में बेकाबू होने के फलस्वरूप सदन की शेष अवधि के लिये निलम्बित किया गया था ।

दिनांक 17 मार्च, 2010 को ही श्री राजेन्द्र राठौड़, सदस्य, विधान सभा द्वारा वैल में उत्तेजित होते हुए नियमावली पुस्तिका को अपने हाथ में हिलाते हुए कागज छीनने के उद्देश्य से तथा प्रतिपक्ष के अन्य सदस्यों को साथ लेकर उकसाते हुए माननीय जल संसाधन मंत्री जी की ओर झपटने और दिनांक 18 मार्च, 2010 को सदन में प्रश्नकाल प्रारम्भ होते ही बिना आसन की अनुमति के बोलना शुरू कर

देने के कारण जबकि प्रक्रिया के नियमों के तहत अध्यक्ष महोदय के निर्णय एवं उनकी अनुमति के पश्चात् ही कोई प्रस्ताव उठाया जा सकता है । यही नहीं, श्री राठौड़ द्वारा सदन में घोर अव्यवस्था फैलाने हेतु अन्य माननीय सदस्यों को उकसाने की कार्यवाही के कारण आसन को तीन बार सदन की कार्यवाही को स्थगित करने को दृष्टिगत रखते हुए श्री राठौड़ का यह कृत्य संविधान व संसदीय प्रक्रियाओं के विरूद्ध रहा, जिसके फलस्वरूप मजबूर होकर श्री राठौड़ को दिनांक 18 मार्च, 2010 को एक वर्ष के लिये सदन की सदस्यता से निलम्बित किये जाने का निर्णय लिया । निलम्बन के पश्चात् भी श्री राठौड़ आसन के आदेशों की निरन्तर अवहेलना करते रहे और सदन में डटे रहे, जिसके फलस्वरूप मजबूर होकर मार्शल एवं सुरक्षाकर्मियों द्वारा बल प्रयोग करने की स्थिति उत्पन्न हुई ।

इस सदन की उच्च एवं गौरवशाली परम्पराएं रही हैं, फिर भी विगत में अनेक अवसर ऐसे आए हैं, जब सदन में अनुशासन बनाये रखने एवं प्रक्रिया नियमों की पालना हेतु सदस्यों को निलम्बित करने सम्बन्धी कठोर निर्णय इस सदन द्वारा लिये गये हैं। लेकिन इसके साथ ही पक्ष और प्रतिपक्ष के मध्य सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहे और यह सदन जन आंकाक्षाओं के अनुरूप कार्य करे तथा इस सदन की गौरवशाली परम्परा अक्षुण्ण बनी रहे, इस हेतु पूर्व में सदन के नेता अथवा प्रतिपक्ष के नेता अथवा संबंधित माननीय सदस्य की ओर से खेद प्रकट करने पर निलम्बनकाल की अवधि को समाप्त किया गया है । अत: पूर्व परम्पराओं को दोहराते हुए मैं, यह संकल्प सदन की राय हेतु प्रस्तुत कर रहा हूँ कि माननीय सदस्य श्री हनुमान बेनीवाल व श्री राजेन्द्र राठौड़ के निलम्बन की अब तक की अवधि को पर्याप्त मानते हुए इस संकल्प के पारित होने के बाद उनका शेष निलम्बन तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाय ।' इसके पश्चात् प्रस्ताव सदन द्वारा पारित किया गया।

सदन में धरना

भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने समीक्ष्य सत्र में दिनांक 17 मार्च, 2010 को श्री हनुमान बेनीवाल के शेष अवधि के लिए सदन की सदस्यता से निलम्बन समाप्त किये जाने की मांग को लेकर सदन के वैल में धरना दिया ।

सदन में आमरण अनशन

भारतीय जनता पार्टी के उप नेता, श्री घनश्याम तिवाड़ी ने दिनांक 19 मार्च, 2010 को सदन में घोषणा की कि भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों का निलम्बन वापस नहीं लेने तक वे सदन में आमरण अनशन पर बैठेंगे । श्री तिवाड़ी सहित अन्य सदस्यों ने 22 मार्च, 2010 तक सदन में धरना दिया । सदन में चल रहे गतिरोध को दूर करने के लिए दिनांक 22 मार्च, 2010 को भारतीय जनता पार्टी के उप नेता, माननीय अध्यक्ष तथा सदन के नेता ने अपने विचार रखे तत्पश्चात् सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चली।

सदन से बहिर्गमन

दिनांक 31 मार्च, 2010 को राज्य में बिजली, पेयजल और अकाल पर चर्चा समाप्ति के उपरांत

राज्य सरकार की ओर से जल संसाधन मंत्री श्री महिपाल मदेरणा के उत्तर से असंन्तुष्ट होकर भारतीय जनता पार्टी व भारतीय कम्प्यूनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया ।

माननीय अध्यक्ष का सन्देश

दिनांक 22 मार्च, 2010 को अन्तरराष्ट्रीय जल दिवस पर माननीय अध्यक्ष श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत ने सदन में संदेश दिया कि 'आज विश्व जल दिवस है। राजस्थान के लिये इस दिन का विशेष महत्त्व है। बढ़ती आबादी, वर्षा की कमी, जीवन शैली के कारण बढ़ती मांग व तेजी से घटते भू-जल के कारण राजस्थान में सतही व भू-जल की उपलब्धता चिन्ताजनक मोड़ पर पहुँच गई है । इससे पेयजल संकट पैदा हो गया है व हमारे विकास को भी खतरा पैदा हो गया है ।

इस स्थिति से निपटने हेतु तात्कालिक एवं दीर्घकालिक उपायों की आवश्यकता है। इस दिशा में हम और देरी नहीं कर सकते । पानी की मांग, प्रबंधन, जल संरक्षण, सिंचाई की कार्यकुशलता में बढ़ोतरी व पानी की प्रत्येक बूंद को एकत्रित करने, भू-जल दोहन के नियंत्रण जैसे उपायों पर बिना देरी कार्यवाही की जानी चाहिए । राज्य सरकार ने हाल ही में जल-नीति घोषित की है जिसमें जल संकट से निपटने के उपायों का उल्लेख किया है ।

आज विश्व जल दिवस के अवसर पर मैं सभी माननीय सदस्यों से यह कहना चाहूँगा कि वे यह संकल्प करें कि जल-नीति के प्रावधानों के अनुसार हम सब मिलकर जल संकट का मुकाबला करेंगे और जल की एक-एक बूंद का सदुपयोग करेंगे ।'

समितियों के प्रतिवेदनों का उपस्थापन

चतुर्थ सत्र के दौरान जन लेखा समिति के 27, राजकीय उपक्रम समिति के 11, प्राक्कलन समिति 'ख' के 7, अनुसूचित जन जाति कल्याण सम्बन्धी समिति के 4, कार्य सलाहकार समिति के 3, याचिका समिति, प्राक्कलन समिति'क', महिला एवं बालकों के कल्याण सम्बन्धी समिति के 2 तथा अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति, सरकारी आश्वासन समिति और प्रश्न एवं संदर्भ समिति के एक-एक प्रतिवेदन सदन में उपस्थापित किये गये ।

विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव

समीक्ष्य सत्र के दौरान दिनांक 11 मार्च, 2010 को श्री घनश्याम तिवाड़ी, सदस्य द्वारा प्रक्रिया के नियम 157 के अन्तर्गत मुख्यमंत्री के विरुद्ध इस आशय का विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव उठाया कि मुख्यमंत्री द्वारा बजट भाषण के पैरा 291 में वेट अधिनियम के शेड्यूल 4 में वर्णित वस्तुओं पर वेट की दर 4 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत तथा 10 मार्च, 2010 को एक आदेश पर हस्ताक्षर कर केन्द्रीय सूची में शामिल खाद्यानों पर विधान सभा में घोषित वेट की दर 5 प्रतिशत को घटाकर 4 प्रतिशत किये जाने की घोषणाएं कर दी गई जबकि विधान सभा सत्र के दौरान महत्त्वपूर्ण घोषणाएं सदन में ही की जानी चाहिए । इस पर राज्य सरकार की ओर से श्री शांति कुमार धारीवाल ने विचार व्यक्त किये । माननीय अध्यक्ष ने श्री घनश्याम तिवाड़ी व श्री अमराराम द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर तथ्यों का

अवलोकन करने बाद में व्यवस्था देने को कहा । (माननीय अध्यक्ष द्वारा दी गई व्यवस्था का विवरण 'अध्यक्षीय व्यवस्था' में दिया गया है)

राज्य में बिजली, पेयजल एवं अकाल की स्थिति पर विचार

समीक्ष्य सत्र के दौरान दिनांक 30 मार्च, 2010 को ऊर्जा मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह, जल संसाधन मंत्री श्री महिपाल मदेरणा तथा आपदा प्रबंधन राज्य मंत्री श्री बृजेन्द्र सिंह ओला ने राज्य में बिजली, पेयजल एवं अकाल की स्थिति पर चर्चा का प्रस्ताव किया । चर्चा के प्रथम दिन 40 माननीय सदस्यों ने भाग लिया तथा दूसरे दिन दिनांक 31 मार्च, 2010 को 56 माननीय सदस्यों ने भाग लिया । चर्चा के उपरांत राज्य सरकार की ओर से सम्बन्धित मंत्रियों ने चर्चा का उत्तर दिया । इस दिन सदन की बैठक प्रातः 3 बजकर 41 मिनट पर स्थगित की गई जो इसी सत्र में दिनांक 25 मार्च, 2010 के 2 बजकर 26 मिनट के रिकार्ड से अधिक थी । उल्लेखनीय है कि अब तक सर्वाधिक लम्बी बैठक दिनांक 18 सितम्बर, 1991 को हुई थी जो अगले दिन प्रातः 2.38 बजे तक चली थी ।

वित्तीय कार्य

(क) अनुपूरक अनुदान की मांगों का उपस्थापन एवं मतदान

चतुर्थ सत्र में दिनांक 12 मार्च, 2010 को गृह मंत्री श्री शान्ति कुमार धारीवाल ने वर्ष 2009-2010 के लिए अतिरेक मांगों का उपस्थापन किया । आसन द्वारा मुखबंद का प्रयोग कर अनुपूरक अनुदान की मांगें सदन द्वारा पारित की गईं ।

(ख) आय-व्यक अनुमान का उपस्थापन

समीक्ष्य सत्र में दिनांक 9 मार्च, 2010 को मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने राज्य के आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2010-2011 का उपस्थापन किया । आय-व्ययक पर चार दिन सामान्य वाद-विवाद हुआ जिसमें 84 माननीय सदस्यों ने भाग लिया । बहस के प्रथम दिन दिनांक 10 मार्च, 2010 को 13, 11 मार्च, 2010 को 27, 12 मार्च, 2010 को 31 तथा 15 मार्च, 2010 को 13 सदस्यों ने भाग लिया । दिनांक 15 मार्च, 2010 को सरकार की ओर से मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने चर्चा का उत्तर दिया । सामान्य वाद-विवाद में भारतीय जनता पार्टी के 43, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 34, भारतीय कम्प्यूनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) तथा निर्दलीयों में से तीन-तीन तथा समाजवादी पार्टी के एक सदस्य ने भाग लिया । चर्चा में 13 महिला सदस्यों ने भी भाग लिया जिसमें भाजपा तथा इनेकां की 6-6 तथा एक निर्दलीय थी ।

(ग) अनुदान की मांगों पर विचार एवं पारण

समीक्ष्य सत्र में निम्नलिखित अनुदान की मांगों पर सदन में विचार एवं मतदान हुआ और शेष मांगों को 26 मार्च, 2010 को मुखबंद का प्रयोग किया जाकर सदन द्वारा पारित किया गया।

मांग सं.	विभाग	तिथि	कटौती प्रस्ताव	सदस्य संख्या, जिन्होंने चर्चा में भाग लिया
30	जनजाति क्षेत्रीय विकास	16.3.2010	47	30
32	नागरिक आपूर्ति	16.3.2010	67	30
22	क्षेत्र का विकास	16.3.2010	3	30
27	पेयजल	17.3.2010	237	व्यवधान
46	सिंचाई (इंदिरा गांधी नहर सहित)	17.3.2010	85	व्यवधान
38	लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण	17.3.2010	36	व्यवधान
42	उद्योग	18.3.2010	125	व्यवधान
43	खनिज	18.3.2010	82	व्यवधान
9	वन	18.3.2010	98	व्यवधान
33	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण (महिला बाल कल्याण सहित)	19.3.2010	121	व्यवधान
7	निर्वाचन	19.3.2010	39	व्यवधान
16	पुलिस	22.3.2010	184	49
17	कारागार	22.3.2010	81	49
37	कृषि	23.3.2010	148	33
39	पशुपालन एवं चिकित्सा	23.3.2010	149	33
26	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई	25.3.2010	250	57
23	श्रम और रोजगार	25.3.2010	64	57
24	शिक्षा, कला एवं संस्कृति	26.3.2010	246	38

विधायी कार्य

(क) वित्तीय समितियों का गठन

चतुर्थ सत्र में दिनांक 17 मार्च, 2010 को सरकारी मुख्य सचेतक श्री वीरेन्द्र बेनीवाल द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव, जिसमें चारों वित्तीय समितियों के लिए 15-15 सदस्यों का निर्वाचन किया जाना था, पर एक अन्य प्रस्ताव द्वारा माननीय अध्यक्ष को यह अधिकार प्रदत्त किया गया कि वे इन समितियों का गठन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा चुनाव कराने के उद्देश्य की यथासम्भव पूर्ति करते हुए प्रत्येक समिति में प्रत्येक दल अथवा समूह को उतना प्रतिनिधित्व दिया जाये जितना सभा में उनके सदस्यों का अनुपात है, के अनुसार सदस्यों का मनोनयन करें।

(ख) अध्यादेश

चतुर्थ सत्र में दिनांक 22 फरवरी, 2010 को अग्रांकित अध्यादेश सदन की मेज पर रखे गये -

1. श्रीधर विश्वविद्यालय, बिगोदना (झुन्झुनूं) अध्यादेश, 2009 (वर्ष 2009 का अध्यादेश संख्या 3)
2. एन.आई.आई.टी. विश्वविद्यालय, नीमराना (अलवर) अध्यादेश, 2009 (वर्ष 2009 का अध्यादेश संख्या 4)
3. होम्योपैथी विश्वविद्यालय, जयपुर अध्यादेश, 2009 (वर्ष 2009 का अध्यादेश संख्या 5)
4. राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) अध्यादेश, 2009 (वर्ष 2009 का अध्यादेश संख्या 6)
5. राजस्थान सहकारी सोसायटी (संशोधन) अध्यादेश, 2009 (वर्ष 2009 का अध्यादेश संख्या 7)

(ग) सत्र के दौरान पारित विधेयक

समीक्ष्य सत्र में निम्न विधेयक सदन/राज्यपाल की अनुमति प्राप्त कर सदन में पुर:स्थापित किये गये। विधेयकों का विवरण निम्न प्रकार है -

विधेयक सं./वर्ष	विधेयक का नाम	पुर:स्थापन की तिथि	विचार की तिथि	पारण की तिथि
5/2010	राजस्थान निजी विश्वविद्यालय विधियां (संशोधन) विधेयक, 2010	23.2.2010	2.4.2010	2.4.2010
6/2010	राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2010	23.2.2010	2.4.2010	2.4.2010
8/2010	श्रीधर विश्वविद्यालय, बिगोदना (झुन्झुनूं) विधेयक, 2010	24.2.2010	1.4.2010	1.4.2010
7/2010	डॉ. के.एन. मोदी विश्वविद्यालय, निवाई (टोंक) विधेयक, 2010	25.2.2010	1.4.2010	1.4.2010
10/2010	एन.आई.आई.टी. विश्वविद्यालय, नीमराना (अलवर) विधेयक, 2010	25.2.2010	1.4.2010	1.4.2010
9/2010	होम्योपैथी विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2010	25.2.2010	1.4.2010	1.4.2010
3/2010	राजस्थान वित्त विधेयक, 2010	9.3.2010	29.3.2010	29.3.2010
11/2010	पेसिफिक उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान अकादमी विश्वविद्यालय, उदयपुर विधेयक, 2010	10.3.2010	2.4.2.10	2.4.2010
1/2010	राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2010	12.3.2010	12.3.2010	12.3.2010

12/2010	राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2010	15.3.2010	1.4.2010	1.4.2010
13/2010	राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2010	15.3.2010	2.4.2010	2.4.2010
2/2010	राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2010	26.3.2010	29.3.2010	29.3.2010
14/2010	राजस्थान पर्यटन व्यवसाय (सुकरकरण और विनियमन) विधेयक, 2010	30.3.2010	2.4.2010	2.4.2010
15/2010	राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम-सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 2010	1.4.2010	-	-
16/2010	राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2010	2.4.2010	2.4.2010	2.4.2010
17/2010	राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) विधेयक, 2010	2.4.2010	2.4.2010	2.4.2010

शोकाभिव्यक्ति

समीक्ष्य चतुर्थ सत्र में सदन में निम्नांकित के निधन पर शोक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया -

नाम	पद	निधन की तिथि
	[22.02.2010]	
1. श्री शीलेन्द्र कुमार सिंह	राज्यपाल, राजस्थान	01.12.2009
2. श्री रामनिवास मिर्धा	पूर्व अध्यक्ष, राजस्थान विधान सभा	29.01.2010
3. श्री हरचरण सिंह बरार	पूर्व राज्यपाल, हरियाणा एवं उड़ीसा तथा पूर्व मुख्यमंत्री पंजाब	06.09.2009
4. श्री वाई.एस.राजशेखर रेड्डी	मुख्यमंत्री, आंध्र प्रदेश	02.09.2009
5. श्री ज्योति बसु	पूर्व मुख्यमंत्री, पश्चिम बंगाल	17.01.2010
6. श्री राव बीरेन्द्र सिंह	पूर्व मुख्यमंत्री, हरियाणा	30.09.2009
7. श्री वृद्धिचन्द जैन	पूर्व सांसद, 7 व 8 लोक सभा, पूर्व विधायक 4, 5, 6 तथा 11वीं राजस्थान विधान सभा	13.01.2010
8. श्री दिनेश चन्द्र स्वामी	पूर्व सांसद, राज्य सभा	09.09.2009
9. श्री चन्दनमल बैद	पूर्व सदस्य, 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10 एवं 11वीं राजस्थान विधान सभा	20.02.2010
10. डॉ. उजला अरोड़ा	पूर्व सदस्य, 6 से 10वीं राज. विधान सभा	05.10.2009
11. श्री श्रवणलाल	पूर्व सदस्य, 3, 4 तथा 6वीं राज. विधान सभा	05.11.2009

12. श्री मुंशीलाल महावर	पूर्व सदस्य, पाँचवीं राजस्थान विधान सभा	03.01.2010
13. श्री हरिप्रसाद शर्मा	पूर्व सदस्य, तीसरी राजस्थान विधान सभा	23.01.2010

सीतापुरा (जयपुर) स्थित इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के तेल डिपो अग्निकांड तथा चम्बल नदी, कोटा बाईपास निर्माणाधीन पुल हादसे के मृतकों के प्रति संवेदना ।

[16.3.2010]

13. श्री नानाजी देशमुख	पूर्व सदस्य, लोक सभा एवं राज्य सभा	27.02.2010

प्रतापगढ़ (उत्तर प्रदेश) के कुडां स्थित मनगढ़ आश्रम में हुई भगदड़ तथा राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में मोरेल नदी में गिरी बस हादसे के मृतकों के प्रति संवेदना ।

[23.3.2010]

14. श्री गिरिजा प्रसाद कोइराला	पूर्व प्रधान मंत्री, नेपाल	20.03.2010

✧✧✧